कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् खुशबू शर्मा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि काकेलाव, जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि हरियाडा, बिलाडा, जोधपुर किया गया। खुशबू शर्मा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या 589/2019 खुशबू शर्मा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 589/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम निर्णय दिनांक 16.10.19 द्वारा अपीलार्थी खुशबू शर्मा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में अपीलार्थी खुशबू शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के एकल महिला (परित्यकता) होने व माता–पिता वृद्ध होने तथा स्थानांतरित स्थान निवास स्थान से 70 किमी की दूरी पर स्थित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि नवीन जोधपुर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चैनपुरा, जोधपुर एवं राउमावि भटिण्डा, जोधपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, **परित्यक्ता** एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी खुशबू शर्मा व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि हरियाडा, बिलाड़ा, जोधपुर का समायोजन राजकीय नवीन उमावि जोधपुर में व्याख्याता राजनीति विज्ञान के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–20/10 दिनांकः– 06-/11/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.........................।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा...........................।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, ...।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
09. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)